



कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

निविदा सूचना का विवरण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष, 2017 में कैलाश मानसरोवर यात्रा /आदि कैलाश यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को छोटे वाहनों से धारचूला –नारायण स्वामी आश्रम तक पहुँचाने व वापसी में नारायण स्वामी आश्रम से धारचूला लाने हेतु सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है । निगम मुख्यालय कार पार्किंग सूखाताल नैनीताल में दिनांक 20.4.2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त होने वाली निविदा मान्य होगी । निविदायें टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी जो उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित टेण्डरदाताओं के सम्मुख खोली जायेगी । निविदा की शर्तें व आवेदन प्रारूप निगम मुख्यालय कार पार्किंग सूखाताल नैनीताल /पर्यटक आवास गृह, धारचूला से निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 2,000.00+ वैट जमा कर प्राप्त की जा सकती है । निविदा संबन्धित विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट www.kmvn.gov.in में देखी जा सकती है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है ।

प्रबन्ध निदेशक को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

नियम व शर्त :-

- 1- टेण्डरदाता के पास कम से कम 2 टैक्सीयां अपने नाम होना अति आवश्यक है ।
- 2- टेण्डरदाता पंजीकृत टैक्सी यूनियन, धारचूला जिनके वाहन धारचूला-गर्बाधार-नारायण आश्रम मोटर मार्ग में संचालित किये जाते हैं का सदस्य होना चाहिए । सदस्यता की छाया प्रति लगानी आवश्यक है ।
- 3- टेण्डर दाता का पैन नम्बर (PAN NO.) होना अनिवार्य होगा ।
- 4- टैक्सियों के टेण्डर में उपरारेक्त यूनियन के बहार के ठेकेदारों को टेण्डर डालने का अधिकार नहीं होगा ।
- 5- ठेकेदार के पास टैक्सी 5 वर्ष से पूर्व की नहीं होनी चाहिए । यानि 01 जून,2012 से पूर्व की नहीं होनी चाहिये।
- 6- टैक्सी (वाहन) के पेपर टेण्डर फार्म के साथ (छाया प्रति) जमा किये जाने होंगे ।
- 7- समस्त टैक्सी चालको का व्यवहार यात्रियों के साथ मधुर होना चाहिए । यदि द्वितीय पक्ष के किसी चालक या स्टॉफ द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रथम पक्ष बाध्य होगा ।
- 8- चालक का ड्राइविंग लाईसेन्स व्यवसायिक एवं वैध होना चाहिए । इसको छाया प्रति टेण्डर फार्म के साथ दिया जाना अनिवार्य होगा ।
- 9- वर्षा काल के दौरान यदि मार्ग बन्द होता है तो ट्रान्सिपमैन्ट कि व्यवस्था तुरन्त टेण्डरदाता को करनी होगी । यदि कोई व्यवधान हुआ तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी टेण्डरदाता की होगी ।
- 10- निविदा के साथ रू0 50,000.00 मात्र धरोहर राशि का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0, प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल के नाम देय होगा को निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात टेण्डरदाता कार्य करने में असमर्थ होता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 11- टेण्डर होने के पश्चात स्वीकृत निविदा के टेण्डरदाता को जमानत राशि के रूप में रू0 2.00 लाख मात्र एफ0डी0आर0 जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल के नाम बन्धक होगी जमा करना होगी ।
- 12- वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर/चालकों का व्यवसायिक ड्राइविंग लाईसेन्स होना अनिवार्य है ।
- 13- अन्य शर्तों का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।



आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- आवेदक का नाम
- 2- पिता का नाम
- 3- पूरा स्थायी पता
- 4- पत्र व्यवहार का पता
- 5- फोन नं० मोबाईल नम्बर
- 6- वाहन स्वामी का पैन नं० (PAN NO.)
- 7- धरोहर राशि का विवरण रू० बैंक का नाम दिनांक
- 8- टेण्डर फार्म की राशि रू० रसीद सं० दिनांक
- 9- टैक्सी यूनियन का पंजीकृत संख्या
- 10- वाहन का प्रकार टैक्सी/जीप
- 11- ट्रान्सपोर्ट की दर :-
 - 1- धारचूला से नारायण स्वामी आश्रम (Oneway) रू०
 - 2- धारचूला से नारायण स्वामी आश्रम (Bothway) रू०

नोट :- A- दरों का उल्लेख स्पष्ट रूप से करे ।

B- धारचूला से नारायण स्वामी आश्रम के बीच मार्ग अवरुद्ध होता है तो ऐसी दशा में टेण्डरदाता द्वारा यात्रियों को ले जाने व वापस लाने के लिये दी गयी दरों पर ही कार्य करना होगा ।

C- स्थायी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

मैं घोषण करता हूँ कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ट्रान्सपोर्ट कार्य करने हेतु तैयार हूँ । मुझे निगम की सभी शर्तें मान्य हैं ।

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर